राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 769/2007/भरतपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत्त–बी, बयाना, भरतपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

बिहारी सिंह पुत्र श्री बेदराम सिंह, रूदावल
वाहन स्वामी वाहन संख्या–आर.एस.एम–2967। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :03.09.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत्त–बी, बयाना, भरतपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2006 के विरूद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या–30/उपा–भरत/1999–2000/आर.एस.टी. के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति रू.3,600/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 13.03.1999 को वाहन संख्या आर.एस.एम.–2967 को जांच चौकी–भीमनगर पर वास्ते जांच रोका गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन में लदे माल "12 टन चूना" के संबंध में दस्तावेज चाहने पर, वाहन चालक ने बिल्टी संख्या 262 मैसर्स गौतम विजय गुड्स कैरियर द्वारा जारी बिल्टी कमांक 262 वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत की गयी परन्तु बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों को संलग्न नहीं पाये जाने के कारण, उक्त को अधिनियम की धारा 78(2)(बी) का उल्लंघन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में, प्रत्यर्थी वाहन चालक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का निष्पादन

लगातार.....2

दिनांक 14.03.1999 को ही करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मद्देनजर वक्त जांच अधिनियम के तहत् विहित दस्तावेज माल के संलग्न नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति आरोपित कर आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल व बिल्टी प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज़ 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रार्थना की है कि चूंकि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है लिहाजा, इसे अपास्त कर, अपीलार्थी का आदेश पुनर्स्थापित (Restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी वाहन चालक की ओर से कोई उपस्थित नही। अतः एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है ।

6. बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि वक्त जांच अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के तहत् विहित दस्तावेज यथा बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था, न ही प्रारंभ में माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा जांच के समय इसे "भूलवश" माल संबंधी दस्तावेजों में संलग्न नहीं करना ही प्रकट किया गया था। जैसा कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने मैसर्स डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 के मामले में विधि प्रतिपादित की गयी है। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में "भूलवश" बिल की प्रस्तुति, शास्ति से बचने के लिये, बाद में सोची हुयी युक्ति है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने निर्णय आशियाना इस्पात लि0 (2010) 01 आर. जी.एस.टी.आर.–डी–014 (एस.सी.)के प्रकरण में भी जांच के समय वैद्य दस्तावेज नहीं होने को मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 के निर्णयानुसार विधिक प्रावधानों की पालना नहीं होना अवधारित कर,

लगातार.....3

व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील खारिज की है। अतः उक्त प्रतिपादित विधिक स्थिति के प्रकाश में, यह अवधारित किया जाता है कि माल संचलन के दौरान, माल संबंधी दस्तावेजों में वैद्य दस्तावेजों का नहीं होना, अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के प्रावधानों की अवहेलना है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, कर चोरी के आशय को प्रमाणित करना भी आवश्यक नहीं माना गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है ।

7. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय प्रसारित किया गया।

3.9.2014

(मदन लाल)

सदस्य